

**प्रेस-विज्ञप्ति
थाना-कोतवाली**

**दो नकबजन/चोर गिरफ्तार , नकबजनी/चोरी का एक जोड़ी पायल व एक जोड़ी टफ्स व 05
अदद नाक की कील व नगद 5870 रूपये बरामद**

श्री कमलेश राय पता कृष्णा नगर कालोनी निकट I.T.I स्कूल बलरामपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22.05.21 को थाना स्थानीय पर दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 150/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 10.6.21 को श्रीमती शान्ति गुप्ता पत्नी महेन्द्रनाथ गुप्ता निवासी महारूपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 169/21 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में उ०नि० कमलकान्त वर्मा चौकी प्रभारी रोडवेज, उ०नि० शिवकुमार कुशवाहा चौकी बलरामपुर व हमराह कां० अंजनी सिंह, कां० अनुज सिंह, कां० इन्द्राज, कां० अरूण पाण्डेय, कां० इन्द्रजीत चौधरी थाना कोतवाली आजमगढ़ की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पूर्व में पंजीकृत मु०अ०सं० 150/21 धारा 457/380 भादवि व मु०अ०सं० 169/21 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर पुत्र महेश बहेलिया निवासी ग्राम खजुरिया नेवादा (उत्तरी पुरा) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर व किशोर अपचारी शनि कुमार पुत्र स्व० सुन्दर लाल निवासी ग्राम खजुरिया नेवादा (उत्तरी पुरा) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर को बवाली मोड़ चौराहा से समय 07.15 बजे गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी व नकबजनी का माल बरामद कर शिनाख्त कराया गया। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु०अ०सं० 150/21 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 169/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. शंकर पुत्र महेश बहेलिया निवासी ग्राम खजुरिया नेवादा (उत्तरी पुरा) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।
2. अपचारी किशोर शनि कुमार पुत्र स्व० सुन्दर लाल निवासी ग्राम खजुरिया नेवादा (उत्तरी पुरा) थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी माल का विवरण

एक जोड़ी पायल सफेद धातु व एक जोड़ी टफ्स पीली धातु व 05 अदद नाक की कील पीली धातु व नगद 5870 रूपये

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ०नि० कमलकान्त वर्मा चौकी प्रभारी रोडवेज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. उ०नि० शिवकुमार कुशवाहा चौकी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. कां० अंजनी सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
4. कां० अनुज सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
5. कां० इन्द्राज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
6. कां० अरूण पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
7. कां० इन्द्रजीत चौधरी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

थाना अतरौलिया

एक अदद चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित/वारंटी अपराधियों , अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेन्द्र कुमार शुक्ला व प्रभारी निरीक्षक पंकज पाण्डेय अतरौलिया के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 04.07.21 को SI गोपाल जी मय हमराह का0उमेश सिंह, का0 अविनाश विश्वकर्मा, का0 रणविजय व का0 मनोज यादव नन्दना माझी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे। समय करीब सुबह 04.30 बजे माझी की तरफ से एक मोटर साइकिल आती दिखाई दी जैसे ही मोटर साइकिल करीब पहुँची पुलिस वालों द्वारा टार्च की रोशनी जलाते हुए रुकने का इशारा किया गया। जैसे ही पुलिस वालों को देखा मोटर साइकिल जमीन पर गिराकर मोटर साइकिल पर बैठे दोनों व्यक्ति इधर उधर भागने लगे , हमराही कर्मचारी गणों की मदद से दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो क्रमशः अपना नाम (1) गुलशन सिंह S/O भारत भूषण सिंह निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष बताया तथा (2) मो0 शाहिद पुत्र मो0 सफीक उर्फ बादशाह निवासी जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष बताया भागने के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ की गयी तो मौके पर मौजूद स्पलेण्डर प्लस काले रंग की मोटर साइकिल नं0 UP45 N3172 अम्बेडकर नगर से चोरी करके कोयलसा बेचने हेतु जाने की बात स्वीकार किये तथा बताया कि उक्त गाड़ी का नम्बर प्लेट हम दोनों कुछ दिन पूर्व बदल दिये हैं सही नम्बर मुझे याद नहीं है मोटर साइकिल को टार्च की रोशनी में देखा गया तो आगे कोई नम्बर नहीं है इन्जन नं0 03 B1820942 चेचिस नं0 03B20F24622 अंकित है पकड़े गये दोनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम दोनों बाहर से गाड़ी चुरा कर कुछ दिन रखने के बाद नम्बर प्लेट बदल कर बेच देते हैं। मौके पर मोटर साइकिल UP45 N3172 कब्जा पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अंकित सिंह उर्फ गुलशन सिंह पुत्र भारत भूषण सिंह निवासी मीरपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. मो0 शाहिद पुत्र मो0 सफीक उर्फ बादशाह निवासी जोलहा टोला कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया आजमगढ़ ।

बरामदगी

एक अदद मोटर साइकिल चोरी की स्पलेण्डर प्लस काले रंग की

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 110/21 धारा 41/411/420/467/468/471 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 10/21 धारा 307/504/506/34 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़ (मो0 शाहिद)
2. मु0अ0सं0 0232/21 धारा 323/325/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़ (गुलशन)
3. मु0अ0सं0 110/21 धारा 41/411/420/467/468/471 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह का0उमेश सिंह, का0 अविनाश विश्वकर्मा, का0 रणविजय, का0 मनोज यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.06.21 को समय 18.30 बजे घटना स्थल मखदूमपुर मे अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामदेव राजभर सा0 मखदूमपुर थाना अहरौला , आजमगढ़ द्वारा वादिनी की पुत्री को अकेला पाकर धर पकड़ करना व गाली गुप्ता धमकी देना व मारना पीटना । जिसके संबंध में 88/21 धारा 354,323,504,506 भादवि दिनांक 06.05.21 पंजीकृत हुआ । जिसकी विवेचना उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य के द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह का0 सुनील कुमार के मु0अ0सं0 88/2021 धारा 354,323,504,506 भादवि की विवेचना एवं तलाश मुल्जिमान में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है कि इस सूचना पर पुलिस टीम विश्वास करके मय मुखबीर के मखदूमपुर पहुँचे मुखबीर दूर से इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 10.30 बजे पकड़ लिया गया । नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामदेव राजभरसा0 मखदूमपुर थाना अहरौला , आजमगढ़ बताया । गिरफ्तारशुदाउपरोक्त व्यक्ति थाना हाजा के मु0अ0सं0 88/2021 धारा 354,323,504,506 भादवि में नामजद वांछित अभियुक्त है जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 88/2021 धारा 354,323,504,506 भादविथाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

सूरज कुमार पुत्र स्व0 रामदेव राजभरसा0 मखदूमपुर थाना अहरौला , आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य, का0 सुनील कुमार थाना अहरौला , आजमगढ़

थाना- जीयनपुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण , क्षेत्राधिकारी सगड़ी के आदेश /चलाये जा रहे अभियान वाँछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आज दिनांक 04.07.2021 को व0उ0नि0 केशर यादव मय हमराह का0 राहुल सिंह, का0 सुमित राव के प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र करते हु ए वाँछित अभि0गणो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मु0अ0सं0 178/2021 धारा 304 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त सिकन्दर पुत्र जिस्सू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम नत्थपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ चुनहवा तिराहा पर मौजूद है कही जाने की फिराक मे है । इस सूचना पर विश्वास कर व0उ0नि0 मय हमराह के चुनहवा तिराहे पर पहुंचे तो एक व्यक्ति को मुखबिर द्वारा दूर से इशारा करके हट गया कि यह वही व्यक्ति है जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमे मे वाँछित अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा हिकमत अमली से उक्त व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। तथा नाम पता पूछा गया तो अपना नाम व पता सिकन्दर पुत्र जिस्सू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम नत्थपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया । चूँकि अभियुक्त उपरोक्त मुकदमा उपरोक्त में वाँछित अभियुक्त है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.25 बजे बजाफता हिरासत पुलिस लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सिकन्दर पुत्र जिस्सू उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम नत्थपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास—

मु0अ0सं0 178/2021 धारा 304 भादवि0 थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 केशर यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. का0 राहुल सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सुमित राव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल कार्यवाही की गयी है।

114 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की